

C.No. 150/2010 अतान भंतरलाल vs रोमान

19/05/2025 पत्रावली पेश हुई

वकील उभयपक्ष उपर  
वकील वादी हाथ में तारीख को वादियों  
समक्षों का उल्लेख किया कि उभयपक्षों  
समक्षों का पेश नहीं किया है, यदि वादी समक्षों का  
हुमा है तो दस्तावेजों को प्रामाण्य वकील पास  
पेश की जावे पत्रावली 27/5/25 को पेश हुई

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़

दि 27/5/25  
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप.। समक्षों का  
दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहिए अतः पत्रावली  
वास्ते 01/06/25 दिनांक 01/6/25 को पेश हो।  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़

17/6/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादीगण  
अनुपस्थित रहें हैं। वकील वादी एवं वादीगण  
को शाम 6 बजे तक रोक-रुककर उबार  
आवाज लगाई गई लेकिन वे अनुपस्थित रहे  
हैं और नाही इनका कोई प्रतिनिधी उपस्थित  
हुआ। अतः वादीगण का हार्दिक पत्र आदेश 9  
निम्न 3 CPC के तहत अदम हाजरी, अदम परकी  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार  
लोक नम्बर से कर है।